

## प्रोफार्मा-अ

मुख्य अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला  
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद-गोरखपुर उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-सी0एफ0ओ0-निरीक्षण(स्कूल)/2020-2021  
सेवा में,

दिनांक-सितम्बर, 04, 2020

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,  
अलमा मेटर द स्कूल,  
मानीराम, गोरखपुर,  
जनपद-गोरखपुर।

विषय:- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक  
टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में:-

संदर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र संख्या-निल दिनांक-01.09.2020


उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध-10  
अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ, दिनांक-27.12.1982  
में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपया-100/-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बैंक रोड,  
जनपद-गोरखपुर, में चालान संख्या-1-400163 दिनांक-04.09.2020 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति  
रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 10-अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण  
निम्नवत है:-

- 1- चेंकिंग का दिनांक-04.09.2020
- 2- पूर्व चेंकिंग का दिनांक व चेंकिंग अधिकारी का नाम-04.09.2020, प्रभारी अग्निशमन केन्द्र
- 3- संस्थान का विवरण-स्कूल/भवन
- 4- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-10
- 5- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-10
- 6- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशरों के कार्यशीलता होने का प्रमाण-पत्र है।)

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ए0बी0सी0-फायर एक्सटिंग्यूशर	04-कि0ग्रा0	10	कार्यशील
2	होजरील			कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक  
टेस्टिंग उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National building code and UP Building  
Byelaws एवं Uttar pradesh fire prevention and fire safety Act/Rules-2005 में  
निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वाछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित  
मानकों के अनुसार प्रतिवर्ष कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का  
उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा।

  
(डी0के0 सिंह) 04/09/2020  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
(जी0के0 मोखसुरि)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
गोरखपुर

